

अत्यावश्यक



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या न0नि0-50-12/2025.....²⁹⁴⁸

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)
—सह—जिला पदाधिकारी,(नवादा, जहानाबाद,
औरंगाबाद, शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज,
शेखपुरा, जुमई, वैशाली एवं अरवल को छोड़कर) बिहार

पटना, दिनांक— 30.6.25


विषय :- नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 में उपयोग में लाये जाने वाले ई.वी.एम. के अंतरण (Transfer) पर प्रतिबंध के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 में उपयोग में लाये जाने वाले ई.वी.एम. में डाले गये मतों की गणना मैनुयल रूप में की जा चुकी है, परन्तु कतिपय ई.वी.एम का OCR गणना सर्वर की धीमे रहने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है। आयोग के पूर्व निदेशानुसार दिनांक—01.07.2025 से पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु ई.वी.एम. का अंतरण निर्धारित है।

उक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि ऐसे ई.वी.एम. जिनका OCR गणना अभी तक लम्बित है, उनका अंतरण दूसरे जिलों को नहीं किया जायेगा। ऐसे सभी ई.वी.एम. के अंतरण पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अंतरण हेतु स्टॉक में उपलब्ध FLC OK ई.वी.एम. को उपयोग में लाया जाये तथा OCR गणना पूर्ण होने के उपरान्त ऐसे ई.वी.एम. का उपयोग अपने ही जिले में आवश्यकतानुसार कर लिया जाए। इस आशय का निदेश सभी निर्वाची पदाधिकारी को अपने स्तर से तत्काल देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन


सचिव।